उत्तरांचल शासन
शहरी विकास/आवास विभाग
संख्याः3686/श0वि0आ0–03–52 (सामान्य)/2003
देहरादूनः दिनांक :31 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

संशोधन

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 57 के खण्ड(क) एवं (ख) सपठित धारा 32 के अधीन अपराधो का शमन करने के मार्गदर्शन सिद्धान्त पुनः निर्धारित करने हेतु अधिसूचना संख्या– 767/आ/श0वि0/ 03–52(सा0)/03 दिनांक 24–5–03 तथा अधिसूचना संख्या 2202/श0वि0आ0/03–52 (सामान्य)/2003 दिनांक 04–09–2003 द्वारा उत्तरांचल विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 2003 निर्गत की गई थी । उक्त उपविधि में पुनः सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित संशोधन किये जाने की एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

उत्तरांचल विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि, 2003 के निम्न प्रस्तरों/बिन्दुओं को उल्लिखित सशोधन अनुसार प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा :–

बिन्दु सं0	वर्तमान (अपराधों का शमन) उपविधि– 2003	संशोधन
(II)	यह स्वैच्छिक शमन योजना 30 अप्रैल 2003 के पूर्व अवैध निर्माण, जिसकी पुष्टि हेतु चालान की तिथि मान्य होगी और उसी अवैध निर्माण को इस योजना के अन्तर्गत छूट दी जायेगी ।	यह स्वैच्छिक शमन योजना 30 अप्रैल 2003 के पूर्व अवैध निर्माण, जिसकी पुष्टि हेतु चालान की तिथि मान्य होगी और उसी अवैध निर्माण को इस योजना के अन्तर्गत छूट दी जायेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐसे प्रकरण जिनकी पुष्टि विद्युत संयोजन की तिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो 30 अप्रैल, 2003 से पूर्व के होंगे, से भी मान्य होंगे ।
8.6	अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण के पश्चात ही शमन योग्य भाग को शमन किया जा सकेगा ।	अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण हेतु शपथपत्र की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण पक्षों द्वारा स्वयं ध्वस्त किया जाएगा अन्यथा प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस पर होने वाले समस्त व्यय प्रार्थी द्वारा देय होगे ।

Secy/BBS
31/12/03
श्री बी. एस. नेगी
31/12/03

5	अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त निर्माण पर पार्श्व/पीछे के सैट बैक में (भूखण्डीय एवं बहुखण्डीय विकास)	अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त बेसमेंट के निर्माण पर पार्श्व/ पीछे के सैट बैक में (भूखण्डीय एवं बहुखण्डीय विकास)
अनुसूची–4 बिन्दु सं0–11	कृषि से आवासीय में भू–उपयोग परिर्वतन शूल्क 100 प्रतिशत भूमि मूल्य का । महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के प्रतिकूल निर्माण होने पर –आवासीय रो व्यावसायिक में 150 प्रतिशत –आवासीय से शिक्षा संस्थान/स्वास्थ्य में 50 प्रतिशत –आवासीय से शिक्षा में 75 प्रतिशत –कृषि से शैक्षिक संस्थान में 50 प्रतिशत –कृषि से आवासीय में 100 प्रतिशत	(क) कृषि से आवासीय में भू–उपयोग परिर्वतन शुल्क 100 प्रतिशत भूमि मूल्य का । (ख) परन्तु ऐसे कृषि क्षेत्र, जहॉ अधिकतर भवन निर्मित हैं, तथा भूखण्ड/भवन घिरा हो, तो उस स्थिति में भू–उपविभाजन शुल्क वर्ष–1998 के सर्किल दरों के आधार पर 15 प्रतिशत भूमि मूल्य का । महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित भू–उपयोग के प्रतिकूल निर्माण होने पर । –आवासीय से व्यावसायिक में 150 प्रतिशत –आवासीय से शिक्षा संस्थान/ स्वास्थय में 75 प्रतिशत –आवासीय से कार्यालय में 75 प्रतिशत –कषि से शैक्षिक संस्थान में 50 प्रतिशत –कृषि से आवासीय में 100 प्रतिशत

2. उत्तरांचल विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि, 2003 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये जबकि इसकी अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें ।

3. उक्त से भिन्न 30 अप्रैल, 2003 एवं निर्धारित तिथि के मध्य तथा उसके उपरान्त शमन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु अग्रिम आदेशों तक उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–2281/9–आ–1–96–6 डी0ए0/01 दिनांक 22 जून, 1998 की उपविधि में उल्लिखित प्रावधानों में निम्न संशोधनों के साथ यथावत पुनर्स्थापित कर प्रभावी किये जाने की भी स्वीकृति दी जाती है :

प्रस्तर–4– अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करना– के बिन्दु 3 में केवल (क), (ख) एवं (ग) को निम्नानुसार पढा जाए :–

(क) सामने के सेट बैक की मार्ग की ओर से 90 प्रतिशत छोडकर अवशेष 10 प्रतिशत शमनीय होगा ।

(ख) पीछे के सेट बैक के कुल क्षेत्र का अधिकतम 40 प्रतिशत क्षेत्र तक का निर्माण शमनीय होगा ।

(ग) पार्श्व सेट बैक के कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत तक का निर्माण शमनीय होगा ।

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्याः 3686 (1)/श0वि0आ0–03 तददिनांक ।

प्रतिलिपि उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं 10–10 प्रतियां शासन को तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्याः 3686 (2)/श0वि0आ0–03 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
2. हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, कैम्प कार्यालय, देहरादून ।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/ हरिद्वार ।
5. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून ।
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
31/1/03
(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव